प्ररूप–7

{नियम 13 (2) और 26 देखिए}

निर्वाचक नामावली में नाम की प्रविष्टि पर आक्षेप या प्रविष्ट नाम को हटाये जाने हेतु आवेदन

सेवा में

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी

.... विधान सभा/£संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

महोदय,

@मैं उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में नीचे उल्लिखित व्यक्ति का नाम सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव पर आक्षेप करता हूँ। मेरे आक्षेप के समर्थन में विवरण नीचे दिये जा रहे हैं:

<u>या</u>

@मैं निवेदन करता हूँ कि *मुझसे/*नीचे नामित व्यक्ति से संबंधित प्रविष्टि को नीचे उल्लिखित कारणों से हटाया जाना अपेक्षित है:

<table>
<tr><td rowspan="3">I. @उस व्यक्ति का ब्यौरे जिसका <u>नाम सम्मिलित किए जाने पर आक्षेप किया गया है:</u>

@उस व्यक्ति का ब्यौरे जिसकी प्रविष्टि हटायी जानी है</td><td colspan="2">नाम</td><td>उपनाम (यदि कोई है)</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td></tr>
<tr><td>निर्वाचक नामावली के उस भाग की संख्या जिसमें उसका नाम सम्मिलित किया गया है :</td><td>उस भाग में उसका/उसकी क्रम संख्या :</td><td>निर्वाचक की फोटो पहचान–पत्र संख्या (यदि जारी किया गया है) :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td rowspan="2">#II.</td><td rowspan="2">आक्षेपकर्त्ता का ब्यौरे</td><td>नाम</td><td>उपनाम (यदि कोई है)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>$लिंग (पुरूष/स्त्री/अन्य)</td><td>निर्वाचक नामावली के उस भाग की संख्या जिसमें आक्षेपकर्त्ता का नाम सम्मिलित किया गया है :</td><td>उस भाग में उसकी क्रम संख्या :</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">पिता/माता/पति का नाम</td><td>नाम</td><td>उपनाम (यदि कोई है)</td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>III.</td><td colspan="8">@आक्षेपकर्त्ता/@नाम हटाए जाने का अनुरोध करने वाले व्यक्ति के मामूली तौर पर निवास स्थान का विवरण (पूरा पता)</td></tr>
<tr><td colspan="9">मकान/गृह संख्या संख्या:</td></tr>
<tr><td colspan="9">गली/क्षेत्र/परिक्षेत्र/मोहल्ला/सड़क:</td></tr>
<tr><td colspan="9">नगर/गांव:</td></tr>
<tr><td colspan="2">डाकघर:</td><td>पिन कोड</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="9">तहसील/तालुक/मण्डल/थाना</td></tr>
<tr><td colspan="9">जिला:</td></tr>
<tr><td colspan="9">IV. *आक्षेप/*हटाए जाने का (के) कारण</td></tr>
</table>

£ उन संघ राज्यों क्षेत्रों जिनमें विधान सभा नहीं हैं और जम्मू और कश्मीर राज्य के मामले में।

@ पहला विकल्प, निर्वाचक नामावली तैयार करने/उसका पुनरीक्षण किए जाने के दौरान सुसंगत होगा। दूसरा विकल्प, निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाषन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन करने के दौरान सुसंगत होगा।

* अनुपयुक्त विकल्प को काट दें।

\# भाग–II वहां नहीं भरा जाना है जहां आवेदक स्वयं से संबंधित प्रविष्टि को हटाने की वांछा करता है।

$ यदि आवेदक स्वयं को पुरूष या महिला के रूप में वर्गीकृत नहीं करना चाहता है तो वह अपने लिंग को "अन्य" इंगित कर सकता है। प्रदत्त स्थान में अपना लिंग इंगित करें जैसे पुरूष, स्त्री या अन्य।

V घोषणाः
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि ऊपर उल्लिखित तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है ।
स्थानः दिनांकः आवेदक का हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

टिप्पणीः— जो कोई व्यक्ति ऐसा कथन या घोषणा करता है, जो मिथ्या है और जिसके मिथ्या होने का या तो उसे ज्ञान या विश्वास है या जिसके सत्य होने का विश्वास नहीं है, वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 31 के अधीन दंडनीय होगा ।

की गई कार्रवाई के ब्यौरे (निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा भरा जाए)

श्री/श्रीमती/कुमारी .... का प्ररूप 7 में निर्वाचक नामावली में श्री/श्रीमती/कुमारी... के नाम को *सम्मिलित किए जाने पर/*हटाए जाने हेतु दिया गया आवेदन *स्वीकार कर लिया गया है /*नामंजूर कर दिया गया है ।

स्वीकार करने {नियम 18/20*/26(4)[£] के अधीन या उसके अनुसरण में} या
नामंजूर करने {नियम 17/20*/26(4)[£] के अधीन या उसके अनुसरण में} के लिए विस्तृत कारणः

स्थानः दिनांकः	निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का हस्ताक्षर	(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की मुहर)

*अनुपयुक्त विकल्प को काट दें ।
[£]निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाषन के पश्चात् उसे लगातार अद्यतन बनाए रखने के दौरान

क्षेत्रीय पदाधिकारी (अर्थात् मतदान केन्द्र स्तरीय पदाधिकारी, पदाभिहित अधिकारी, पर्यवेक्षी अधिकारी) की टिप्पणियां

आवेदन की पावती

श्री / श्रीमती / कुमारी..
**पता...

से प्ररूप 7 में आवेदन प्राप्त किया ।

दिनांक:...

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी
की ओर से आवेदन प्राप्त करने वाले
अधिकारी का हस्ताक्षर
(पता)...
....
....

**आवेदक द्वारा भरा जाए ।

आवेदन प्ररूप–7 भरने के लिए दिशा–निर्देश
सामान्य अनुदेश

प्ररूप–7 कौन दाखिल कर सकता है

1. निर्वाचक नामावली के किसी भाग में किसी नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति या निर्वाचक नामावली के किसी भाग में पहले से ही सम्मिलित किसी नाम के विलोपन के लिए वांछा उसी व्यक्ति द्वारा दाखिल की जा सकती है जिसका नाम पहले ही उस नामावली में सम्मिलित है ।

प्ररूप–7 कब दाखिल किया जा सकता है

1. निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् किसी प्रस्तावित प्रविष्टि को प्रारूप नामावली में सम्मिलित करने पर आपत्ति के लिए आवेदन दाखिल किया जा सकता है । आवेदन, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट दिनों के भीतर ही दाखिल किया जाना होता है । जब पुनरीक्षण कार्यक्रम की उद्घोषणा होती है, तब उपर्युक्त अवधि के विषय में व्यापक प्रचार किया जाता है ।
2. आवेदन की केवल एक प्रति ही दाखिल करनी होती है ।
3. पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी नहीं रहने पर भी अंतिम निर्वाचक नामावली से किसी प्रविष्टि के विलोपन के लिए आवेदन वर्ष में कभी भी दाखिल किया जा सकता है । गैर–पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन दो प्रतियों में दाखिल किया जाना चाहिए ।

प्ररूप–7 कहां दाखिल किया जाए

1. पुनरीक्षण अवधि के दौरान आवेदन उन अभिहित स्थलों (प्रायः मतदान केन्द्र स्थलों पर), जहां प्रारूप निर्वाचक नामावली प्रदर्शित की जाती है, के साथ–साथ निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास दाखिल की जा सकती है ।
2. वर्ष की अन्य अवधि के दौरान जब पुनरीक्षण का कार्य नहीं चल रहा हो, तब आवेदन केवल निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के पास ही दाखिल किया जा सकता है ।

प्ररूप–7 कैसे भरें

1. आवेदन उस निर्वाचन–क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को संबोधित किया जाना चाहिए, जहां उस नामावली में पंजीकृत कोई निर्वाचक, किसी प्रस्तावित प्रविष्टि को प्रारूप नामावली में सम्मिलित करने में आपत्ति करता है । खाली स्थान में निर्वाचन–क्षेत्र के नाम का उल्लेख किया जाना चाहिए ।
2. **उस व्यक्ति का विवरण जिसका नाम सम्मिलित करने में आपत्ति है / उस व्यक्ति का विवरण जिसकी प्रविष्टि हटाई जानी है:**

   दोनों विकल्पों में से पहला विकल्प निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान निर्वाचक नामावली के प्रारूप प्रकाशन के पश्चात् संगत है । दूसरे शब्दों में प्रारूप नामावली में आपत्तिजनक

प्रविष्टि को नामावली के अंतिम प्रकाशन के समय विलोपन सूची में दर्षाने के लिये है । दूसरा विकल्प निर्वाचक नामावली के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् नामावली के सतत् अद्यतीकरण के दौरान संगत है । दूसरे शब्दों में अंतिम निर्वाचक नामावली में शामिल कर ली गई किसी प्रविष्टि के विलोपन के लिए है । (कृपया प्ररूप भरते समय अनुपयुक्त विकल्प काट दें ।) जिस व्यक्ति के नाम की प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, निर्वाचक नामावली में उनसे संबंधित अन्य विवरण, भाग संख्या, निर्वाचक नामावली के उस भाग में प्रविष्टि की क्रम संख्या और उस व्यक्ति को जारी किये गये पहचान–पत्र की संख्या इत्यादि भी भरी जानी है । ये विवरण निर्वाचक नामावली के संबंधित भाग में उपलब्ध हैं । निर्वाचक नामावली की भाग संख्या निर्वाचक नामावली के दायें हाथ की ओर सबसे ऊपर कोने में मुद्रित होती है । प्रत्येक प्रविष्टि को एक क्रम संख्या दी गयी है । कृपया निर्वाचक नामावली की जाँच करें और वह क्रम संख्या लिखें जिसमें उस व्यक्ति का नाम जिसकी प्रविष्टि पर आपत्ति की गई है या विलोपन की अपेक्षा की गई है, सूचीबद्ध है । यदि पहले ही उस व्यक्ति को पहचान–पत्र जारी किया जा चुका है तो उसकी संख्या भी उस प्रविष्टि के सामने मुद्रित होगी । कृपया दिए गए स्थान में उस पहचान पत्र की पूरी संख्या लिखें ।

किसी प्रविष्टि को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति के लिये एवं किसी प्रविष्टि के विलोपन की अपेक्षा के लिए अलग–अलग आवेदन दिया जाना अपेक्षित है।

3. <u>आपत्तिकर्त्ता का विवरणः–</u>

एक आपत्तिकर्त्ता प्ररूप–7 में केवल उन्हीं व्यक्तियों के सम्बन्ध में आवेदन दाखिल कर सकता है जिनका नाम निर्वाचक नामावली के उसी भाग में शामिल है, जहां आपत्तिकर्ता पंजीकृत हैं । आवेदन के दूसरे भाग में प्रदत्त स्थान में आपत्तिकर्त्ता को अपना नाम, उपनाम, सम्बंधी का नाम (पिता, माता, पति) लिंग, निर्वाचक नामावली की भाग संख्या और क्रम संख्या जिसमें उसका नाम पंजीकृत है, उल्लिखित करना है।

आपत्तिकर्त्ता को आवेदन के तीसरे भाग में दिए गए खाली स्थान में अपना पूरा पता भरना होगा।

4. <u>आपत्ति/विलोपन के कारण</u>

आवेदन के चौथे भाग में आवेदक 'आपत्तिकर्त्ता' को स्पष्ट करना होगा कि उसके अनुसार जिसके नाम पर आपत्ति की जा रही है वह निर्वाचक नामावली के उस भाग में शामिल किए जाने के लिए क्यों निरर्ह है अर्थात् मृत्यु हो जाने के कारण, स्थानान्तरण के कारण या पंजीकृत पते पर सामान्य रूप से निवास न करने के कारण इत्यादि । नाम के विलोपन के लिए दिए गए कारणों को प्रमाणित करने के लिए सबूतों को प्रस्तुत करने का दायित्व आपत्तिकर्त्ता का होगा ।

5. <u>घोषणा</u>

आवेदन के पाँचवे भाग में आवेदक को अनिवार्यतः घोषणा करनी होती है कि आवेदन में दिए गए सभी तथ्य एवं विवरण आवेदक के सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं । आवेदक वह तारीख सूचित करे जबसे वह उस दिए हुए पते पर रह रहा है। असत्य घोषणा करना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अंतर्गत दण्डनीय है ।